न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/357/2017

उनवान

1. स्व0 रतना पुत्र मोती चमार (मृतक)
   1/1 तेजमल पुत्र रतना चमार निवासी लाछुडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
   1/2 श्रीमती बाली पुत्री रतना चमार निवासी लाछुडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
   1/3 श्रीमती प्रेमी पुत्री रतना चमार निवासी लाछुडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के
प्रकरण संख्या (मूल प्रकरण संख्या 218/08 रा.वा.)13/2015
निर्णय दिनांक 14.6.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी रतना पुत्र मोती चमार ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । प्रतिवादी के

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थित होने के उपरान्त प्रकरण जवाब दावा प्रस्तुत हो जाने पर वास्ते कायमी तनकियात में लंबित रहा । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि दिनांक 17.9. 2012 को प्रकरण में वादी एवं वादी के अधिवक्ता के आवाजें लगवाने केउपरान्त भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से वादी एवं उनके अधिवक्ता की गैर हाजरी में वाद का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया । जिसके उपरान्त वादी की मृत्यु हो गई। जिसकी ताईद मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। तत्पश्चात वादी के वारिसान/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया ।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए प्रकरण को निर्धारित अवधि मे पेश नहीं करने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता को अपीलाधीन आदेश से खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण को लोक अदालत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कैम्प में निर्णय पारित कर दिया गया । जिससे अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पाई। अपीलार्थीगण दिनांक 7.11.2017 को अन्य प्रकरण की जानकारी करने हेतु आसीन्द गया एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी मिली। तब अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 7.11.2017 को ही नकलें प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के पिता रतना जी चमार को बिलानाम सरकारी भूमि में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नम्बर 1316/12 दिनांक 28.1.1983 को आवंटित की गई। जिसके बाद वादग्रस्त आराजी का कब्जा सौपा गया और आवंटन का नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 11.2.1983 वादी के पक्ष में गैर खातेदारी से खोल दिया गया । जो इन्द्राज जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में हो रखा है। जरिये नामान्तरकरण संख्या 1448 दिनांक 14.5. 1993 को गैर खातेदारी से खातेदार हक से दर्ज करने की स्वीकृति दी । इसके पश्चात हुए बन्दोबस्त में त्रुटिवश वादी का आवंटित आराजी संख्या 1316/12 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के बजाय कोई नवीन नम्बर कायम नहीं किये गये। जिसके कारण वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार दर्ज नही है। जबकि वादी साबिक आवंटित आराजी नम्बर 1316/12 पर आवंटन के समय से ही लागातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिससे वादी ने ग्राम लाछुडा स्थित साबिक आराजी नम्बर 1316/12 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में एवं नक्शा ट्रेश में उसी स्थान पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नवीन नम्बर दर्शाते हुए तदनुसार वादी के नाम पर इन्द्राज किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

6. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था। उसके उपरान्त दिनांक 12.12.2008 को वादी का देहान्त हो गया । उक्त वाद की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी। जिससे अपीलार्थीगण मृतक वादी रतना के अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये। जून 2015 में जब ग्राम पंचायत में राजस्व अभियान था उस अभियान के दौरान प्रार्थीगण के चल रहे अन्य वाद के कागजात ढूढने पर उसके साथ में उक्त वाद के दस्तावेज भी मिले । अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा दिनांक 21.7.2015 को बताया गया कि दिनांक 17.9.2012 को ही उक्त पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई। जिस पर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने तत्काल ही दिनांक 21.7.2015 को उक्त पत्रावली की नकलें प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

7. अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को सम्मन प्रेषित किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब आना था। पत्रावली जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत थी। किन्तु प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को बिना सूचित किये प्रकरण को कैम्प लाछुडा में तलब कर प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 6.10.2016 को विपक्षी की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तामिल हुई एवं पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 5.1.2017 को नियत की गई। दिनांक 5.1.2017 को पेशी पर राजकीय अवकाश हो जाने से प्रकरण में जनरल पेशी दिनांक 4.5.2017 नियत की गई। दिनांक 4.5.2017 को पेशी पर जाने पर अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काई पेशी प्रदत्त नहीं की गई। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 14.6.2017 को कैम्प लाछुडा में तलब कर ली गई। जिसकी कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। जिससे अपीलार्थीगण केम्प लाछुडा में उपस्थित नहीं हो पाये । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से खारिज योग्य है। राजस्व लोक अदालत अभियान में पक्षकारो के मध्य सहमति से प्रकरण में राजीनामा होने की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण करना होता है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करते । अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.2107 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः रेस्टोर कर नम्बर पर दर्ज कर गुणावगुण पर प्रकरण के निस्तारण हेतु निर्देशित किया जावे।

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क में रहना चाहिये था एवं प्रकरण में प्रोग्रेस की जानकारी रखनी चाहिये थी। अपीलार्थीगण ने रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाया था। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खारिज किया गया है, जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। दिनांक 30.8.2008 को प्रकरण संख्या 218/2008 पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे। दौराने विचारण अपीलार्थीगण के पिता वादी रतना पुत्र मोती चमार की मृत्यु 12.12.2008 को होने का कथन अंकित किया है। प्रकरण प्रतिवादी की ओर से दिनांक 22.12.2008 को जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रकरण तनकियात कायम किये जाने हेतु विचाराधीन था। दिनांक 9.6.2011 को प्रकरण वास्ते तनकियात कायमी दिनांक 18.8.2011 को नियत किया गया था। उसके उपरान्त लगातार 6 पेशियों पर बार संघ द्वारा हडताल किये जाने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई थी। दिनांक 25.7.2012 को बार संघ द्वारा हडताल करने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.9.2012 नियत की गई थी। दिनांक 17.9.2012 में वादी एवं उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में तनकियात कायम की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जानी चाहिये थी। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु पत्रावली तनकियात कायम करने की स्टेज पर होने के बाद भी तनकी कायम न कर पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के निर्णय को उचित नहीं माना जा सकता ।।

12. अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 218/2008 की जानकारी उन्हें नहीं होने का कथन किया था एवं अन्य प्रकरण के दस्तावेजात खोजने के वक्त प्रकरण संख्या 218/2008 से संबधित दस्तावेज के मिलने पर जानकारी होने का कथन किया था। उक्त प्रकरण में चूकि अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे। अतः अपीलार्थी का यह कथन सद्भाविक प्रकट होता है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त अंतिम तौर पर पक्षकारों के हक हितों का निर्धारण किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का जो कारण अंकित किया था। वह सद्भाविक कारण था। उसका कोई खण्डन प्रतिवादी की ओर से लिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर नहीं किया गया था।

13. अपीलाधीन प्रकरण में चूंकि वादी रतना की मृत्यु दिनांक 12.12.2008 को हो गई थी। ऐसी स्थिति में मेरी दृष्टि में न्यायहित में उचित होगा कि उनके वारिसान को उनके फुटस्टेप पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे ।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2017 को निरस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय को निदेशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 218/2008 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तोवजात के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17-7-19 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

18/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा